लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2806
10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

टेक्सटाइल पार्क और रोजगार सृजन

2806. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत किए गए मेगा टेक्सटाइल पार्कों की संख्या और उनके द्वारा रोजगार की संभावना का ब्यौरा क्या है;

(ग) हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा वस्त्र एमएसएमई के लिए निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ किया गया है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में टेक्सटाइल क्लस्टर या परिधान विनिर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): भारतीय वस्त्र उद्योग को बड़ा आकार प्रदान करने, लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने और इसकी प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए, एकीकृत वस्त्र पार्क के रूप में बड़े पैमाने पर और एकीकृत विश्व स्तरीय औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 7 (सात) स्थलों को मंज़ूरी दी है, जिनमें से गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में एक-एक स्थल है।

पार्क के गेट तक बाहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 2160.17 करोड़ रुपये की लागत के अवसंरचना के कार्य राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए हैं और अब तक 564.72 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पीएम मित्र पार्कों के लिए 7,145 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में, 24,175 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 1140 एकड़ जमीन निवेशकों को आवंटित की गई है। तमिलनाडु में, 2192 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 190.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। तेलंगाना में, अब तक 3862 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 540 एकड़ जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। अभी तक सभी पार्कों में प्राप्त कुल निवेश अभिरुचि 63,177 करोड़ रुपये है।

(ख): केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में, माननीया वित्त मंत्री द्वारा तकनीकी वस्त्रों में मूल्य संवर्धन लाने पर ध्यान देने के साथ-साथ चुनौती मोड में मेगा वस्त्र पार्कों की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई थी।

योजना की जल्द मंज़ूरी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। मंत्रालय द्वारा पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन मापदंडों पर चर्चा करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी गठित किया गया है।

(ग): सरकार हथकरघा क्षेत्र को आधुनिक और मज़बूत बनाने और देश भर में हथकरघा कारीगरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चला रही है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना;

उपर्युक्त योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/कारीगरों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे और सहायक उपकरणों की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट, वर्कशेड बनाने, उत्पाद विविधता और डिज़ाइन नवाचार, तकनीकी और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, घरेलू/विदेशी बाजार में हथकरघा उत्पादों का विपणन, बुनकरों की मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के एक घटक, हथकरघा विपणन सहायता को भी लागू कर रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्केटिंग चैनल का विकास और प्रचार-प्रसार किए जा सकें, ताकि सभी स्टेकहोल्डर्स को समग्र और एकीकृत तरीके से लाभ मिल सके।

पावरलूम सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, पावरटेक्स इंडिया योजना 2017-20 की अवधि के लिए पूरे भारत में शुरू की गई थी, जिसे वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब वस्त्र क्षेत्र विकास योजना (टीसीडीएस) में शामिल कर लिया गया है और सिर्फ़ प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में मदद दी जाती है। इसके अलावा, देश में पावरलूम सेक्टर का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस), ग्रुप वर्कशेड योजना, पावरलूम बुनकरों के लिए पीएम क्रेडिट स्कीम, इन-सीटू उन्नयन निधि योजना और समेकित पावरलूम क्षेत्र विकास योजना (सीपीसीडीएस) सम्मिलित हैं।

(घ): सरकार ज़ीरो-रेटेड एक्सपोर्ट के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय कर और लेवी छूट (आरओएससीटीएल) योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, जो वस्त्र उत्पाद आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया जाता है।

(ङ) और (च): अभी तक मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****